21-49

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 3920–दो/2012 विरूध्द आदेश दिनांक 31–10–12 पारित तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक मण्डल चन्द्रनगर, तह0 राजनगर, जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 35/अ–12/2006–07.

बाबू तनय बल्दू काछी,
निवासी ग्राम राजपुर, तह. राजनगर,
जिला छतरपुर, म0प्र0

––– आवेदक

विरूध्द

लल्लू तनय टुइयां ढीमर,
निवासी ग्राम राजपुर, तह. राजनगर,
जिला छतरपुर, म0प्र0

–– अनावेदक

श्री के0के0 व्दिवेदी, अभिभाषक – आवेदक
श्रीमती रजनी वशिष्ट, अभिभाषक– अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 12.6 – 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक मण्डल चन्द्रनगर, तह0 राजनगर, जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 35/अ–12/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 31–10–12 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपर कलेक्टर व्दारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने पर तहसीलदार व्दारा प्रकरण पंजीबध्द कर राजस्व निरीक्षक, राजनगर एवं राजस्व निरीक्षक, चन्द्रनगर से प्रश्नाधीन भूमि खसरा क0 1473 एवं 1486 रकबा कमशः 2.023 हे. एवं 4.047 हे. का सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। राजस्व निरीक्षक व्दारा प्रतिवेदन, पंचनामा एवं फील्डबुक प्रस्तुत करने पर तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 31--10--12 व्दारा सीमांकन स्वीकार किया गया है। इस आदेश के विरूध्द यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदक ने निगरानी आवेदनप में मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय व्दारा आवेदक को सूचना, सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार व्दारा अपर कलेक्टर के प्रत्यावर्तन आदेश का पालन नहीं किया गया। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अपर कलेक्टर व्दारा 2 राजस्व निरीक्षक के दल गठित कर भू–अभिलेख नियमावली में प्रावधानों के अनुसार सीमांकन की कार्यवाही करने के आदेश दिये थे, इस आदेशानुसार प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक के दल व्दारा किया गया है। सीमांकन के पूर्व आवेदक को सूचना दी गयी, किन्तु उसके व्दारा सूचनापत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये गये। सीमांकन के समय आवेदक व उसके पुत्र मौके पर उपस्थित थे, किन्तु उनके व्दारा पंचनामें में हस्ताक्षर नहीं किये गये। तहसीलदार व्दारा आवेदक को आपत्ति पर सुनवायी का अवसर देने के पश्चात आदेश पारित किया गया है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 30–6–2010 से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर ने प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया था कि प्रश्नाधीन भूमि खसरा क0 1473 एवं 1486 रकबा कमशः 2.023 हे. एवं 4.047 हे. का सीमांकन कार्यवाही भू–अभिलेख नियमावली भाग–4 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार तथा शासन व्दारा सीमांकन हेतु समय–समय पर जारी निर्देशानुसार दो राजस्व निरीक्षकों का दल गठित किया जाकर सम्पन्न की जाय। इस प्रत्यावर्तन आदेशानुसार तहसीलदार व्दारा राजस्व निरीक्षक, चन्द्रनगर एवं राजस्व निरीक्षक, राजनगर से प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया गया है। दिनांक 25–6–12 को प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन करने हेतु सूचनापत्र पटवारी व्दारा दिनांक 24–6–12 को जारी किया गया है। यह सूचनापत्र बाबू तनय बल्दू, हरीशंकर, रामदास एवं लल्लू बगैरह को जारी किया गया है। इस सूचनापत्र की पुष्ट पर हरीशंकर, रामदास के हस्ताक्षर है, किन्तु बाबू तनय बल्दू व्दारा सूचना लेने से इन्कार अंकित किया गया है। पंचनामें में यह अंकित किया गया है कि सीमांकन करते समय बाबू काछी एवं उसके तीन पुत्र साथ में रहे। कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। अतः नाराज होकर पंचनामा पर हस्ताक्षर नहीं किये। इस पंचनामें को अन्य ग्रामवासियों व्दारा हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया गया है। प्रतिवेदन में भी राजस्व निरीक्षक व्दारा यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक की भूमि अनावेदक लल्लू के पक्ष में चले जाने से आवेदक सीमांकन से संतुष्ट नहीं हुआ और पंचनामा पर हस्ताक्षर नहीं किये तथा नाराज होकर भाग गया। सीमांकन के साथ फील्ड बुक भी प्रस्तुत की गयी है जिससे सीमांकन नियमानुसार किया जाना प्रतीत होता है। आवेदक बाबू व्दारा आपत्ति भी तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गयी है जिस पर उभय पक्ष को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात तहसीलदार व्दारा आदेश दिनांक 31–10–12 पारित किया गया है। आपत्ति में आवेदक व्दारा दिनांक 25–6–12 को सीमांकन की सूचना नहीं दिये जाने से उसे अंतिम रूप नहीं दिये जाने का अनुरोध किया

गया है। आवेदक व्दारा अन्य कोई आपत्ति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नही की गयी। ऐसी दशा में तहसीलदार व्दारा आवेदक की आपत्ति अमान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की है। निगरानी में भी आवेदक व्दारा यह नहीं बतलाया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का किया गया सीमांकन किस प्रकार नियम विरूध्द है। ऐसी दशा में निगरानी में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। तहसीलदार का आदेश दिनांक 31–10–12 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0